



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, गंगलवार, 22 मार्च, 2016

चैत्र 2, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 587/79-वि-1-16-1(क) 14-2016

लखनऊ, 22 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 पर दिनांक 21 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया एवं जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरुद्ध रहे हों, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 कहा

संक्षिप्त नाम
और विस्तार

जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएँ

2-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(क) "लोकतंत्र सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासियों से है, जिन्होंने आपातकालीन अवधि अर्थात् दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया और जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में राजनैतिक आधार पर इस अवधि के दौरान किसी भी समय पर निरुद्ध रहे हों;

(ख) "निःशुल्क चिकित्सा सुविधा" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानियों को राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में प्रदान की जाने वाली निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से है जिसमें समस्त प्रकार की निःशुल्क जाँचे, निःशुल्क उपचार और आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण एवं साथ में आवश्यकतानुसार दवाओं की खरीद भी सम्मिलित है;

(ग) "निःशुल्क परिवहन सुविधा" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानी को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दी जाने वाली निःशुल्क यात्रा सुविधा से है;

(घ) "सम्मान राशि" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानी को दी जाने वाली ऐसी सम्मान राशि से है, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।

यह अधिनियम
कतिपय व्यक्तियों
पर लागू नहीं होगा।

3-इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे:-

(1) राजनैतिक आधार से भिन्न आधार पर कारागार में निरुद्ध व्यक्ति।

(2) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सम्मान राशि व अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु अपनी पात्रता स्थापित करने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के लिये असत्य विवरण या सूचना या प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।

सम्मान राशि
स्वीकृत करने का
अधिकार

4-(1) इस अधिनियम के अधीन कोई सम्मान राशि परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2) सम्मान राशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के पश्चात् सीधे कर दिया जायेगा।

(3) (एक) लोकतंत्र सेनानी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो और देश के किसी भी जेल में मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन निरुद्ध रहा हो। उसके विरुद्ध इस रूप में प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से की जायेगी;

(दो) जिन लोकतंत्र सेनानियों के अभिलेख जिला कारागार में उपलब्ध नहीं हैं अथवा नष्ट हो गये हैं, उनके प्रकरणों पर विचार करते समय सम्बन्धित जिलाधिकारी आवश्यक सत्यापन के उपरान्त अन्य उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों से अपना यह समाधान कर लेंगे कि आपातकालीन अवधि, दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक, में लोकतंत्र की रक्षा हेतु आपातकाल के विरोध में मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन सम्बन्धित धाराओं में आवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई हो एवं उसकी गिरफ्तारी/निरुद्धि की पुष्टि होती हो;

(तीन) जिन लोकतंत्र सेनानियों के विरुद्ध मीसा/डी0आई0आर0 के अतिरिक्त अन्य दांडिक धाराएँ भी लगी हैं, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से यह समाधान कर लेंगे कि ऐसी अन्य धाराएँ आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये संघर्ष करते समय आपातकाल के विरोध में लगी हों तथा गिरफ्तारी/निरुद्धि राजनैतिक कारणों से इतर न रही हो;

(चार) जिन मामलों में आवेदनकर्ता एक से अधिक जिलों से सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, संबंधित जिलाधिकारी उनसे इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लेंगे कि उनके द्वारा केवल एक ही जिले से आवेदन किया गया है तथा इसकी पुष्टि भी संबंधित जिलाधिकारी दूसरे जिलाधिकारी से कर लेंगे;

(पाँच) जो लोग वर्ष 2006-2007 में लोकतंत्र सेनानी घोषित हैं और उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि नियमावली, 2012 दिनांक 14.09.2012 के निर्गत होने के पश्चात् और दिनांक 30.12.2013 अर्थात् संशोधित नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व लोकतंत्र सेनानी घोषित किये गये हैं, उन्हें दिनांक 01.04.2012 से सम्मान राशि स्वीकृत की जाएगी तथा जो लोग ऊपर उल्लिखित संशोधित नियमावली के प्रख्यापन के दिनांक के बाद नये लोकतंत्र सेनानी घोषित किये गये हैं, उन्हें आवेदन पत्र के स्वीकृति के दिनांक से लोकतंत्र सेनानी मानते हुए सम्मान राशि दी जाए।

(4) यदि किसी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु दिनांक-01.04.2012 के पश्चात् और इस योजना के लागू रहने की अवधि के दौरान हो जाये तो ऐसे मामले में उसके उत्तराधिकारी को उतनी अवधि की सम्मान राशि दी जायेगी, जितनी अवधि तक लोकतंत्र सेनानी दिनांक 01.04.2012 के बाद जीवित रहा।

(5) लोकतंत्र सेनानी को एक परिचर सहित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जायेगी। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को नियमानुसार की जायेगी।

(6) राज्य सरकार का चिकित्सा विभाग लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगा, जिसमें समस्त प्रकार की निःशुल्क जाँचे, निःशुल्क उपचार और आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण एवं साथ में आवश्यकतानुसार दवाओं की खरीद भी सम्मिलित हैं और चिकित्सा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश प्रभावी होंगे।

(7) सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति को एकल बचत खाता किसी बैंक की उस शाखा में, जहाँ वह रहता है, खोलना होगा तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

(8) सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि के आहरण हेतु अनुदान की राशि का बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करेंगे। बिल के साथ सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति का नाम, बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और बैंकवार धनराशि का विवरण संलग्न किया जायेगा। तत्पश्चात् इन विवरणों के अनुसार ही सम्बन्धित कोषागार, सम्मान राशि पाने वाले व्यक्तियों के बैंक खाता में सीधे सम्मान राशि जमा करेगा। किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(9) सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे तथा सुसंगत नियमों के अनुसार उनका लेखा परीक्षण कराना होगा।

5-इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि निम्नलिखित आधार पर अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी समय बिना कोई कारण बताये व बिना नोटिस दिये निरस्त की जा सकती है:-

- (एक) नैतिक अधमता के अपराध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण;
- (दो) राजनैतिक दण्ड को छोड़कर किसी अन्य अपराध में दण्डित होने के कारण;
- (तीन) धारा 3 की उप धारा (1) और (2) के अधीन उल्लिखित अपात्रता के बावजूद सम्मान राशि प्राप्त करने के कारण;

(चार) असत्य सूचना और असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के कारण।

सम्मान राशि
निरस्त करना

लोकतंत्र
सेनानियों की
मृत्यु की दशा में

6-(1) लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में, लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति, पत्नी पति सम्मान राशि और सुविधायें प्राप्त करेगी/करेगा।

(2) किसी भी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में उसकी अंत्येष्टि किया राज्य सम्मान के साथ की जायेगी।

सम्मान राशि हेतु
आवेदन करने
की रीति

7-(1) इस अधिनियम के अधीन सम्मान राशि स्वीकृति के लिये आवेदन-संलग्नक-क में दिये गये प्रपत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा कारागार में निरुद्ध रहने के समर्थन में निर्धारित आवेदन-पत्र साथ सम्बन्धित जेल अधीक्षक या जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कि जायेगा।

(3) राज्य सरकार किसी भी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो, जांच कर सकती है।

सम्मान राशि की
वसूली

8-(1) धारा 5 के अधीन किसी आवेदक की सम्मान राशि के निरस्त किये जाने की दशा में सम्मान राशि की वसूली उससे भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

(2) सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी सम्मान राशि की स्वीकृति में हुई किसी अनियमितता के लिये उत्तरदायी होगा।

नियम बनाने का
अधिकार

9-राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

कठिनाईयों को
दूर करने की
शक्ति

10-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या तोष के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक व समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

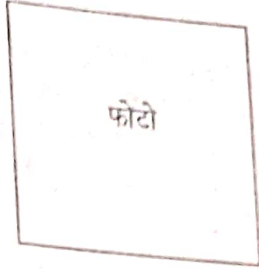
विखण्डन और
विधिमाम्यकरण

11-(1) सरकारी अधिसूचना संख्या 800(1)जेड/6- एस0ए0-1-2012-55जी/ 90, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 में जारी उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि सम्बन्धी नियमावली, 2012 एवं संशोधित नियमावली दिनांक 30.12.2013 एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी माना यह अधिनियम सभी सारवान् समय प्रवृत्त था।

आवेदन पत्र का प्रारूप।
आवेदन पत्र का प्रारूप।
आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम.....
पिता का नाम.....
पूरा पता : स्थायी पता.....
स्थानीय पता.....



4. क्या आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी है?
5. जेल में निरुद्ध रहने की अवधि (निरुद्ध होने तथा मुक्त होने की तिथि)
6. निरुद्ध रहने का स्थान तथा जिले का नाम जहाँ यह स्थित है
7. कार्यकलापों का विवरण जिसमें वह निरुद्ध किया गया (यह प्रमाण पत्र जेल, प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, संलग्न करना अनिवार्य होगा।)
8. धाराएं जिनके अधीन जेल में निरुद्ध किया गया
9. निरुद्ध किये जाने से सम्बन्धी दस्तावेज की सत्यापित प्रतियाँ
10. ऊपर मद संख्या-7 में दिये गये विवरण का साक्ष्य

(यह प्रमाण-पत्र भूतपूर्व या वर्तमान दो विधायकों/संसद सदस्यों/दो ऐसे लोकतन्त्र सेनानी जिनको लोकतन्त्र सम्मान राशि स्वीकृत हो चुकी है और जो आवेदक के साथ सहबन्दी (कोप्रिजनर) रहे हों, द्वारा दिया जायेगा, जिसमें आपातकालीन अवधि के दौरान राजनैतिक कारणों से भोगी गयी जेल की अवधि निर्दिष्ट हो)।
एतद्वारा मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर मद संख्या-7 में दिये गये विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी और सूचना के अनुसार सही हैं।

प्रमाणकर्ता व्यक्तियों के हस्ताक्षर
पद तथा पूरा पता

- (1)
- (2)

आवेदक द्वारा शपथ-पत्र

एतद्वारा मैं सत्य-निष्ठापूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही हैं। यदि कोई विवरण गलत पाया जाय, तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी सम्मान राशि निरस्त कर दे और, उसे भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय।
दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाण-पत्र

संख्या..... दिनांक.....
एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिये गये विवरणों की जाँच कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है।

जिलाधिकारी
मुहर

नोट : (1)
(2)

उद्देश्य और कारण

आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977) के दौरान असंख्य व्यक्तियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिये संघर्ष किया था, जिससे कि लोकतंत्र की बहाली हो सकी। आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुये संघर्ष करने एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध उत्तर प्रदेश के राजनैतिक बन्धियों/ लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह सम्मान राशि, राज्य सड़क परिवहन निगम बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा एवं राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु वर्ष 2006 में सर्वप्रथम नियमावली बनायी गयी, जो दिनांक 31.03.2007 तक प्रभावी थी। राज्य सरकार की राय है कि उक्त व्यक्तियों को उक्त सुविधायें प्रदान की जायेंगी। अतएव अब, यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधि बनाकर उत्तर प्रदेश के ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया एवं जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरुद्ध रहे हों, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधयेक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 587 (2)/LXXIX-V-1-16-1 (ka) 14-2016

Dated Lucknow March 22, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Loktantra Senani Samman Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 21, 2016 :-

THE UTTAR PRADESH FIGHTERS OF DEMOCRACY HONOUR ACT, 2016

[U.P. Act No. 9 of 2016]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for Honour money, free transport facility and free medical facility to fighters of democracy who actively fought to protect the democracy during emergency period (25.06.1975 to 21.03.1977) and who were detained in jail under MISA/DIR for participating in such activities and for matters connected therewith or incidental thereto

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016.

Definitions

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Fighters of Democracy" means such permanent residents of Uttar Pradesh who actively fought to protect the democracy during emergency period i.e. from 25.06.1975 to 21.03.1977 and who were detained at any time during this period, on political grounds in jail under MISA/DIR for participating in such activities;